

R.R.No.- /2022

(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (मोप्रो)

TITLE PAGE

न्यायालय- तरुणेन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बरही कटनी (म.प्र.)

FILLING NO. RCT/ -961- /2022

C.N.R. NO. MP2107000-1016..... -2022

CASE NO.- RCT/...629.../2022

मो प्रो शासन
विरुद्ध

प्रमुख पटेल निवा कोशल प्रसाद पटेल

प्रकरण आपराधिक नियम एवं आदेश के अध्याय 18 के अनुसार व्यवस्थित किया गया।

विनष्टीकरण की अवधि 06 माह है। प्रकरण का विनष्टीकरण निर्णय/आदेश दिनांक 12.11.2022 के 06 माह पश्चात् किया जावे।

रीडर
(रामराज सिंह)

इस्तगास पेश दिनांक-11.11.2022

इस्तगासा आदेश दिनांक-12.11.2022

ORDER SHEET

3

CASE NO. 629 of 2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
11.11.2022	माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेशानुसार आरक्षी केन्द्र बरही के इस्तगासा क्रमांक <u>1534/22</u> मोटर यान अधिनियम की धारा-<u>129/177 MVA</u> के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में थाना प्रभारी की ओर से आरक्षक <u>अवधेश प्रताप सिंह</u> क <u>679</u> ने यह इस्तगासा /परिवाद अभियुक्त <u>प्रदुम्न पटेल</u> पिता <u>कौशल प्रसाद पटेल</u> उम्र <u>27</u> वर्ष, निवासी <u>पिपडिया कला घाटा बरही जिला कटनी</u> के विरुद्ध सहपत्र क्रमांक 01 लगायत <u>06</u> तक प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कटनी तथा जिला कलेक्टर कटनी को सूचित किये जाने के बावजूद राज्य की ओर से पैरवी किए जाने हेतु कोई उपस्थित नहीं। अभियुक्त सूचना पत्र की तामीली उपरांत अनुपस्थित। अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अपराध का संज्ञान धारा-190 दं.प्र.सं के प्रावधान के अधीन लिया जाता है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट/इस्तगासा के प्रति यदि कोई हो तो प्रकरण में संलग्न की जावे। प्रकरण केन्द्रीय पंजीयन हेतु संबंधित लिपिक के पास भेजा जावे। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नोटिस/समंस जारी किया जावे। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक <u>12/11/2022</u> को प्रस्तुत हो (तारु मीरु प्रताप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरही जिला कटनी (म.प्र.) पुनश्च:- प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया गया। प्रकरण फाईलिंग नंबर-आर.सी.टी/<u>961</u> /2022, आर.सी.टी क्रमांक-<u>629/22</u> एवं सी.एन.आर.नंबर-<u>MP2107001016</u> <u>2022</u> में पंजीबद्ध होकर वापिस प्राप्त। आरक्षी केन्द्र बरही जिला कटनी म.प्र. की ओर से आरक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह, क्रमांक-679 ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हस्तगत मामला लोक अदालत में निराकृत किये जाने का निवेदन किया	

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

है। परिवादी पक्ष के मौखिक निवेदन के आधार पर प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत की खण्ड पीठ के समक्ष रखा जावे।

प्रकरण उचित आदेशार्थ हेतु दिनांक 12.11.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हो।

(तारुणोन्म प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
न्यायिक सौजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म.प्र.)

नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक 24, बरही जिला कटनी

प्रकरण नियमित न्यायालय से आज दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक-24 के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आरक्षी केन्द्र बरही से आरक्षक डा. विवेक प्रताप सिंह
क. 679 उपस्थित हुए।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र बरही से आरक्षक डा. विवेक प्रताप सिंह
क्रमांक 679 ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र इस खण्ड पीठ के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि हस्तगत मामले में पूर्व में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा- 129/177 MVA अंतर्गत अपराध दर्ज कर इस्तगासा/परिवाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त इस्तगासा उपस्थिति उपरांत अभियुक्त ने उसके समक्ष उपस्थित होकर उक्त अपराध के संबंध में म.प्र. राज्य की धारा-200 मोटर यान अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित की गई परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-284 दिनांक 02.07.2013 वर्णित शमन शुल्क 250/- रुपये निक्षेपित कर दिया गया है जो उक्त आरक्षी केन्द्र के रशीद बुक क्रमांक 7758 के रशीद क्रमांक 91 दिनांक 6/11/22 के माध्यम से जमा कर उसे रशीद प्रदान की गई। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त रशीद की छायाप्रति हस्तगत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत भी है। उक्त आवेदन पत्र के प्रभाव से कथित इस्तगासा के आधार पर संस्थित उक्त मामले को समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पत्र के संबंध में संबंधित आरक्षक व अभियुक्त को सुना गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा- 129/177 MVA के अपराध के संबंध में इस्तगासा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध धारा का संज्ञान लिया गया है। संज्ञान पश्चात हस्तगत मामले के लंबन के दौरान परिवादी की ओर से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है।

अब इस प्रक्रम पर यह अवधारित किया जाना आवश्यक है कि क्या

Order Sheet [Contd]

Case No. 6229 of 2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
	इस प्रक्रम पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पोषणीय है अथवा नहीं ? अतः इस संबंध में मोटर यान अधिनियम की धारा-200 अवलोकनीय है जिसमें यह उपबंधित है कि अभियोजन के संस्थान के उपरांत भी सक्षम अधिकारी द्वारा शमन किया जाना अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत-परमजीत मसीन विरुद्ध यूनियम आफ इंडिया, 2005 (12) एस.सी.सी. 642 में प्रतिपादित निम्न सिद्धांत भी प्रयोज्यनीय हैं:- "(5)..... It is to be noted that compounding can be done either before or after the institution of the prosecution in respect of the enumerated offences....."(11)..... The section would give guidance to the state government as a delegate under the statue to specify the amount for compounding the offences enumerated under sub-section (1) of section 200. It is not mandatory that the authorised officer would always compound the offence. It is conditional upon the willingness of the accused to have the offences compounded. It may also be done before the institution of the prosecution case. In the event of the petitioner's willing to have the offence compounded, the authorised officer gets jurisdiction and authority to compound the offence and call upon the accused to pay the same. On compliance thereof, the proceedings, if already instituted, would be closed or no further proceeding shall be initiated. It is a matter of volition or willingness on the part of the accused either to accept compounding of the offence or to face the prosecution in the appropriate court....." उपरोक्त वर्णित विधिक स्थिति के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन के संस्थित हो जाने के पश्चात् भी शमन की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, शमन करने अथवा न करने का निर्णय अभियुक्त की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात् धारा-200, मोटर यान अधिनियम 1988 में वर्णित अपराध के संबंध में अभियुक्त द्वारा सक्षम सरकार द्वारा विहित शमन शुल्क सक्षम प्राधिकारी को संदाय पश्चात् मामले के संस्थापन के पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रक्रम पर शमन किया जाना अनुमति है। जहां तक हस्तगत मामला लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक-फा.नं.21/नेश.लोक. अदा/राविसेप्रा/1242/2022 जबलपुर, दिनांक 30.05.2022 अवलोकनीय है जिसमें यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सक्षम खण्ड पीठ द्वारा विचार में लिया जा सकता है। उक्त सूची में धारा-200	स्टेट

6

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

मोटर यान अधिनियम का उल्लेख करते हुए संबंध अपराध के शमन उपरांत प्रकरण का लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने संबंधी तथ्य का उल्लेख है।

अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभिलेख पर नहीं है, अभियुक्त पर आक्षिप्त अपराध के संबंध में शमन किये जाने पर भी सक्षम सरकार द्वारा सामुदायिक सेवा इत्यादि संबंधी शर्त अधिरोपित करने के संबंध में अधिसूचित नहीं किया है। परिवारी/आवेदक शमन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। सुसंगत अपराध में शमन किए जाने पश्चात अंगीकृत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में धारा-200 (2) मोटर यान अधिनियम निम्न प्रावधान करती है जिसके अनुसार "जहां किसी अपराध का शमन उपधारा-1 के अधीन किया गया है वहां अपराधी को यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जावेगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी"।

अतः उपरोक्तानुसार परिवारी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत हस्तगत आदेश पत्र स्वीकृत कर अभियुक्त को धारा 129/177 MVA मोटर यान अधिनियम के अपराध से कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र यदि प्रस्तुत हो तो भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त के आधिपत्य से अभिग्रहित वाहन कमांक MP 91MF9110 पूर्व से उसकी/24 की अंतरिम अभिरक्षा में है, अथवा उसके पंजीकृत रवागी को प्रश्नगत वाहन मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत लौटाया जावे।

हस्तगत आदेश को सी.आई.एस. साफ्टवेयर पर अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में लेखबद्ध कर विहित समयवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

(श्री संदीप मिश्रा)
अधिवक्ता/सदस्य

(तुरुप मिश्रा) (अधीक्षक)
नेश लोक अदालत प्रथम कक्षा 24
न्यायिक निरीक्षण अधिकारी (सी.आई.एस.)
वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (सी.आई.एस.)